


23/7/25

पत्रावली पेश हुयी अधिवक्ता
प्राथी हाजिर हैं। पत्रावली के
अवलोकन से यह तथ्य सामने
आया है कि मूल दावे पर
काजदायरी की निगरानी,
माननीय राजस्व मंडल, अजमेर
में विचाराधीन है। और
काजदायरी की निगरानी में
दावे के Restoration


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम


फर्द अहकाम
— मै. दार्विन बनाम डोपदी

सहायक कलक्टर,
 जयपुर शहर प्रथम

पालय
 या

7.2. 78/2024

विशेष	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23 ⁰⁷ / ₂₅	<p>के बिन्दु की तय किया जाना है। चूंकि इस प्रपत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा, जो कि दावे का अहम हिस्सा है, पर उक्तानुसार ही अंतिम कार्यवाही की जानी है।</p> <p>साथ ही आदेश -39 नियम 3(A) के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 06.02.14 को बिना समुचित कारण अंगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। चूंकि दावे पर बाधदायरी निगरानी अधीन है, इसलिए इस प्रपत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के अंतिम निर्णय में देरी होने की</p>	


 सहायक कलक्टर
 जयपुर शहर प्रथम

सम्भावना से इकार नहीं किया
जा सकता है। अतः आदेश
दिनांक 06.02.14 को आगे
बढ़ाये जाने का अंतिम
क्षेप नहीं होने से न्यायालय
द्वारा जारी अंतरिम आदेश
दिनांक 06.02.14 को 'discontinue'
किया जाता है। (रौका जाता है)।

कारण: पत्रावली ^{दावे की} वाजदायती

पर निगरानी के अंतिम
नित्वाण के पश्चात् ही इस
पत्रावली पर आगामी कार्यवाही
किया जाना उचित समझते हैं।

इसलिए निगरानी अधीन
वाजदायती के अंतिम


फर्द अहकाम

— मे० दार्षिण बनाम झोपडी

मालय
या

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

T. I 78/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/07/25	<p>निस्तारण तक अथवा घा० पत्र पेश होने तक पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम</p>	